

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ। | 2. चकबन्दी आयुक्त,
उ०प्र० लखनऊ। |
| 3. प्रमुख सम्पादक,
जिला गजेटियर विभाग
जवाहर भवन, लखनऊ। | 4. निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय
राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ। |
| 5. राहत आयुक्त,
उ०प्र० लखनऊ। | 6. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश। |
| 7. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश। | |

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2021

विषय : कोविड-19 से बचाव हेतु राजस्व विभाग के समस्त स्तरों के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय रूप से संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि गत वर्ष कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु रोकथाम, बचाव एवं उपचार हेतु सही जानकारी एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्रत्येक स्तर पर पहुँचाये जाने हेतु शासन द्वारा राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों (निदेशालय, मण्डल एवं जनपद तथा तहसील स्तरीय) में जहाँ अधिक संख्या में नागरिक आते हैं, वहाँ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-532/एक-11-2020 दिनांक 26.06.2020 एवं शासनादेश संख्या-558/एक-11-2020 दिनांक 28.06.2020 द्वारा दिये गये हैं।

2. कोविड-19 की द्वितीय लहर से रोकथाम, बचाव एवं उपचार तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्रत्येक स्तर पर आमजन तक पहुँचाये जाने हेतु शासन द्वारा राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों (निदेशालय, मण्डल एवं जनपद तथा तहसील स्तरीय) में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 की द्वितीय लहर से रोकथाम, बचाव एवं उपचार तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्रत्येक स्तर पर आमजन तक पहुँचाये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 26.06.2020 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार उक्त सभी कार्यालयों में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय रूप से अग्रिम आदेश तक संचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार) 01/6/21
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— (1)/एक-11-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- (1) मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- (3) अध्यक्ष, मा० राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- (5) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन।
- (6) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- (7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
- (8) समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
- (10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राम केवल) 01-06-21
विशेष सचिव।